कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / लेखा / आईसीपी / 28013 / 2021–22 दिनांकः 01.09.2021

समस्त
जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
माध्यमिक शिक्षा

विषयः– काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं (माध्यमिक शिक्षा विभाग) के ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि में अभिवृद्वि के संबंध में ।

प्रसंगः– आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक : फ23(80)(2) / लेखा / आकाशि / छा.ऑनलाइन / 2020–21 / 389 दिनांक 31.08.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ने प्रासंगिक पत्रांक द्वारा काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं (माध्यमिक शिक्षा विभाग) के ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि में अभिवृद्वि कर ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 31.08.2021 से बढ़ाकर 30.09.2021 कर दी है ।

इस कार्यालय के पूर्व पत्र दिनांक 04.08.2021 द्वारा योजना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर आपको भिजावाए जा चुके है। तथा पत्र दिनांक 17.08.2021 के द्वारा ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया तथा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी जिला नोडल अधिकारियों की सूची से भी आपको अवगत करवाया जा चुका है। इस संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को **whats app group** "कालीबाई भील स्कूटी योजना 2020" से जोड़ा जा रहा है। ऑनलाईन स्कूटी आवेदन के संबंध में छात्राओं को किसी भी प्रकार की समस्या आने पर इस ग्रुप के माध्यम से अवगत कराया जाकर ~~इस~~ निराकरण प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु कॉलेज आयुक्तालय जयपुर के सहायक प्रोफसर डॉ0 ललित कुमार नागौरा मोबाईल नं. 7976354239 से संपर्क किया जा सकता है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि ऑन लाईन आवेदन की न्यून संख्या को देखते हुए पात्र छात्राओं को योजना के अन्तर्गत स्कूटी के लिये आवेदन करने हेतु प्रेरित करने के लिए एवं योजना के व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेसनोट जारी करावें, टी.वी. केबल पर निःशुल्क प्रचार प्रसार करावें । कार्यालय नोटिस बोर्ड पर योजना की सूचना चस्पां करावें एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों को योजना के प्रचार प्रसार हेतु पाबंद करें ।

संलग्न : प्रासंगिक पत्र की प्रति

1/9/21

मुख्य लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / लेखा / आईसीपी / 28013 / 2021–22 दिनांकः 01.09.2021

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र / समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूटी वितरण योजना का विस्तृत प्रचार प्रसार एवं अधीनस्थ कार्यालयों को उक्त योजना के तहत पात्र छात्राओं को आवेदन करने के लिए पाबन्द करने बाबत।
3. समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को स्कूटी वितरण योजना का विस्तृत प्रचार प्रसार एवं अधीनस्थ कार्यालयों / प्रधानाचार्य राजकीय / निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रधानाचार्य राजकीय / निजी केन्द्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को व्यक्तिशः रूचि लेकर पात्र छात्राओं से दूरभाष पर संपर्क कर आवेदन करने के लिए प्रेरित करने हेतु पाबन्द करने बाबत।
4. एसीपी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

1/9/21

मुख्य लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

C:\USERS\ACER PC\DOCUMENTS\DESKTOP.DOCX

FA/छात्रवृत्ति
31.8.21

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 23(00)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/389 दिनांक : 31/8/2021

छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान स्थित महाविद्यालयों में अध्ययनरत निम्नलिखित योजना की सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एवं अनुसूचित जाति (SC) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) की छात्राओं हेतु विभागीय वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आंमत्रित किये गये थे जिनकी तिथि में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है-

क्र. सं.	छात्रवृति का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एवं अनुसूचित जाति (SC) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) की छात्राओं हेतु	2020-21	01.03.2021	30.09.2021

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/ के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा/छात्राध्यापिका/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें।

जिन विद्यार्थियों को उनके महाविद्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहें हैं। वे अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया हैं। वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगें। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

(संदेश नायक, आई.ए.एस.)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Schlorship/